कोतवाली जौलजीबी पुलिस ने 05 लीटर कच्ची शराब के साथ एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार।
यातायात नियमों का उल्लंघन करने व मिशन मर्यादा के तहत कुल 133 लोगों के विरूद्ध की गयी कार्यवाही।

शराब तस्करों व यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध जनपद पुलिस द्वारा लगातार कड़ी वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। जिस क्रम में कोतवाली जौलजीबी से हेड का0 अशोक सिंह, हेड का0 पूरन सिंह व का0 महेश बोरा द्वारा अवैध मादक पदार्थों की धरपकड़ व चैकिंग के दौरान तातापानी यात्री विश्राम गृह के पास से अभियुक्त डिगर सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह, निवासी- ग्राम जाराजिबली थाना जौलजीबी जिला पिथौरागढ़ को 05 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध धारा- 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

थानाध्यक्ष कनालीछीना श्री दिनेश चन्द्र सिंह द्वारा वाहन चैकिंग के दौरान शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालक पंकज कुमार निवासी सुरौली पिथौरागढ़ को गिरफ्तार कर वाहन सीज किया गया।

जनपद पुलिस द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 105 लोगों के विरुद्ध एम0वी0 एक्ट के अन्तर्गत तथा मिशन मर्यादा के तहत कुल 28 लोगों के विरूद्ध चालानी कार्यवाही की गयी।